न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः–अजय कुमार सिंह प्रथम, एच.जे.एस. (UP-2009)
CNR No.-UPHP010045942026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 1327/2026

दीपांशु पुत्र नरेश निवासी ग्राम व थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़।

बनाम

उ0प्र0 राज्य।

अन्तर्गत धारा– 103(1) बी.एन.एस.
व धारा 4/25 आयुध अधिनियम
थाना–बहादुरगढ़, जिला– हापुड़।
मुकदमा अपराध संख्या 12/2026

दिनांक 29.06.2026:–

1. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या 12 सन् 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, वादिनी मुकदमा संगीता द्वारा दिनांक 16.01.2026 को थाना बहादुरगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि उसके पति उमेश पुत्र नरेश नौकरी के लिए घरवालों से पैसे मांग रहे थे, न देने पर शराब के नशे में घर में तोड़–फोड़ करने लगे। इसी बात से नाराज होकर दिनांक 15.01.2026 को समय करीब 7 बजे घर के कमरे में उसके देवर दीपांशु पुत्र नरेश ने उसके पति की गर्दन पर चाकू से बार–बार हमला कर घायल कर देवर भाग गया, ये घटना उसने देखी है। घायल उमेश को डॉक्टर के पास ले गये तो मृत घोषित कर दिया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा मुकदमा उपरोक्त में आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। मुकदमा वादिनी मृतक की पत्नी है तथा आवेदक/अभियुक्त मृतक का सगा छोटा भाई है। आवेदक/अभियुक्त एवं मृतक के मध्य पूर्व में कभी कोई मनमुटाव, शत्रुता, सम्पत्ति विवाद अथवा अन्य कोई विवाद नहीं रहा है। मुकदमा वादिनी मृतक के अत्यधिक शराब सेवन करने तथा कोई कार्य न करने के कारण उससे असंतुष्ट रहती थी तथा दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद हुआ करते थे। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कई बार बीच–बचाव व समझाने का प्रयास किया गया था, जिस कारण वादिनी मुकदमा आवेदक/अभियुक्त से रंजिश रखती थी। आवेदक/अभियुक्त अविवाहित है तथा अपने माता–पिता, मृतक व उसके परिवार के साथ संयुक्त परिवार के रूप में एक ही मकान में निवास करता था। घटना के समय आवेदक/अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। घटना के समय घर में केवल मृतक एवं मुकदमा वादिनी ही उपस्थित थे। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है तथा परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण एवं अखण्ड नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा कथित आलाकत्ल चाकू की बरामदगी आवेदक/अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से लगभग 5–6 किलोमीटर दूर होना दर्शायी गयी है, जबकि बरामद चाकू की लम्बाई लगभग एक वालिस्त चार अंगुल अंकित की गयी है। कथित बरामदगी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं है और ना ही बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.06.29 15:46:26 IST
Reason: bail order
Location: District and Sessions Court, Hapur

के पति/अपने भाई की चाकू से हमला करके हत्या कर दी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत पत्रावली का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने वादिनी मुकदमा के पति/अपने भाई की गर्दन पर हत्या करने के उद्देश्य से चाकू से वार किये, जिससे वादिनी मुकदमा के पति उमेश की मृत्यु हो गयी। दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल चाकू बरामद होना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर धारदार हथियार की कुल 17 चोटें पायी गयी है तथा मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व शरीर पर आयी धारदार हथियार की चोटों के कारण शॉक व हमरेज के कारण हुई है। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये बयान में साक्षीगण वादिनी मुकदमा संगीता, गीता, रानी, सुरेन्द्र सिंह, श्रीपाल सिंह व राधे वादी ने आवेदक/अभियुक्त व मृतक उमेश के मध्य विवाद होने व क्रोध में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उमेश की गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या करना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने से उसके द्वारा विचारण/गवाहान को प्रभावित करने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार अभियुक्त **दीपांशु पुत्र नरेश** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 29.06.2026

(अजय कुमार सिंह प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।